



सत्यमेव जयते

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Textiles, Government of India



समर्थ (Samarth)

Scheme for Capacity Building in Textile Sector
Under the Skill India Mission

GUIDELINES 2017-2020



Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

समर्थ - कौशल भारत मिशन के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र में क्षमता विनिर्माण योजना के दिशानिर्देश

परिचय

वस्त्र एवं अपैरल उद्योग भारत में विकसित प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। फाइबर से लेकर अपैरल विनिर्माण तक इसकी समग्र मूल्य श्रृंखला देश के भीतर विद्यमान है। कृषि के पश्चात यह सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। उद्योग में कौशल के अंतर को पूरा करने और परिधानों और मेड-अप्स के लिए विशेष पैकेज के माध्यम से शुरू किए गए इसके प्रयासों को पूरा करने के लिए सरकार ने संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग और विविंग को छोड़कर वस्त्र की समग्र मूल्य श्रृंखला के लिए 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए 'वस्त्र क्षेत्र क्षमता विनिर्माण योजना (एससीबीटीएस)' नामक एक नई योजना अनुमोदित की है। इस योजना के दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

1. योजना का नाम और उद्देश्य

1.1 वस्त्र क्षेत्र में लाभकारी और सतत रोजगार के लिए युवाओं को कुशल बनाने की योजना के व्यापार उद्देश्य को पूरा करने वाली 'वस्त्र क्षेत्र क्षमता विनिर्माण योजना (एससीबीटीएस)' को "समर्थ" नाम से जाना जाएगा।

1.2 उद्देश्य:

- (i) स्पिनिंग और विविंग को छोड़कर वस्त्र की समग्र मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए संगठित और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियों का सृजन करने में उद्योग को प्रोत्साहित करने और उनके प्रयासों को पूरा करने के लिए मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुखी राष्ट्रीय कौशल विकास अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) का अनुपालन करने वाले कौशल कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
- (ii) हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और पटसन के परंपरागत क्षेत्रों में कौशल का संवर्धन और कौशल का उन्नयन करना।
- (iii) देशभर में समाज के सभी वर्गों के लिए मजदूरी अथवा स्वयं रोजगार द्वारा धारणीय आजीविका का प्रावधान करना।

1.3 इस योजना का लक्ष्य तीन वर्षों की अवधि (2017-20) में 10.00 लाख व्यक्तियों (संगठित क्षेत्र में 9 लाख एवं परंपरागत क्षेत्र में 1 लाख) को प्रशिक्षित करना है।

2. संस्थागत तंत्र

2.1 अंतर-मंत्रालयी समिति

2.1.1 वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया जाएगा जिसकी संरचना अनुबंध-1 में दी गई है।

2.1.2 अर्द्ध-वार्षिक आधार पर योजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए आईएमसी की एक पूर्ण पर्यवेक्षण भूमिका होगी।

2.2 अधिकार प्राप्त समिति (ईसी)

2.2.1 सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति होगी। अधिकार प्राप्त समिति की संरचना अनुबंध-11 में दी गई है।

2.2.2 समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:

- योजना की प्रभावी मानीटरिंग एवं क्रियान्वयन।
- क्रियान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) का अनुमोदन।
- योजना के विभिन्न पहलुओं से संबंधित मानकीकृत प्रचालन क्रियाविधियों (एसओपी) का अनुमोदन।
- प्रचालनशील दिशानिर्देशों की व्याख्या प्रस्तुत करना।
- वित्तीय मामलों के अलावा सभी मामलों को शामिल करते हुए योजना के दिशानिर्देशों में कोई संशोधन।

2.3 जीएफआर के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) योजना के क्रियान्वयन में "समर्थ" के प्रभारी डिवीजन की सहायता करेगी।

2.4 संसाधन सहायता एजेंसी

वस्त्र समिति संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) होगी जो निम्नलिखित कार्य करेगी:

- क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) और उद्योग के परामर्श से कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करना और उन्हें अंतिम रूप देना।
- अध्ययन विषय वस्तु को मानकीकृत करना और उसे विकसित करना।
- एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र की अवसंरचना को निर्दिष्ट करना।
- इसकी निरंतरता और विभिन्न हितधारकों द्वारा स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए एसएससी और उद्योग के परामर्श से प्रवेश, मूल्यांकन, प्रमाणन और प्रत्यायन प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना।
- मूल्यांकन एजेंसियों को पैनलीकृत करना और उनके निष्पादन की निगरानी करना।
- संबंधित एसएससी के समन्वय से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) और मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण (टीओए) आयोजित करना।
- समय-समय पर कौशल में अंतर का अध्ययन करना और उद्योग के लिए कौशल डाटाबेस तैयार करना।
- वस्त्र क्षेत्र में कौशल प्रदान करने के लिए वैश्विक परिदृश्य तथा उत्कृष्ट प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।

2.5 प्रस्ताव मूल्यांकन समिति

पैनल बनाने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित संरचना वाली एक प्रस्ताव मूल्यांकन समिति (पीईसी) होगी:

1.	संयुक्त सचिव ("समर्थ" के प्रभारी), वस्त्र मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	निदेशक/उप-सचिव, आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफडब्ल्यू), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
3.	निदेशक/उप-सचिव, ("समर्थ" के प्रभारी), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य

जब विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, वस्त्र आयुक्त, पटसन आयुक्त और केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा तो उनके प्रतिनिधियों को भी बैठक में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा।

3. क्रियान्वयन का ढांचा

क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की लागत सहित क्रियान्वयन का संपूर्ण ढांचा कौशल विकास अर्थात् कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अपनाए गए सामान्य मानदंडों, राष्ट्रीय कौशल विकास अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) आदि के विस्तृत नीतिगत ढांचे के अनुरूप होगा। इस योजना में प्रवेश स्तर के पाठ्यक्रम और प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल किया जाएगा।

3.1 क्रियान्वयन एजेंसियां (आईए)

कौशल कार्यक्रमों को निम्नलिखित क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा:

- (i) वस्त्र उद्योग।
- (ii) प्रशिक्षण अवसंरचना और वस्त्र उद्योग के साथ प्लेसमेंट करार वाली वस्त्र मंत्रालय/राज्य सरकारों की संस्थाएं/संगठन।
- (iii) वस्त्र उद्योग के साथ प्लेसमेंट के करार वाले वस्त्र क्षेत्र में सक्रिय प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान/एनजीओ/सोसाइटी/ट्रस्ट/संगठन/कंपनियां/स्टार्ट-अप/उद्यम।

3.2 क्रियान्वयन एजेंसियों का पैनल निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित होगा:

- (i) संगठन की विश्वसनीयता
- (ii) वस्त्र क्षेत्र में कौशल प्रदान करने का विगत अनुभव
- (iii) वित्तीय शक्ति।
- (iv) प्रशिक्षण अवसंरचना विशेष रूप से नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों में।

3.3 प्रशिक्षण केंद्रों का अनुमोदन

चयनित क्रियान्वित एजेंसियों को स्वयं की लागत पर अपेक्षित अवसंरचना और सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था करनी होगी। इस योजना के अंतर्गत नए भवन के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशिक्षण केंद्रों में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए :

- (i) फर्नीचर, लेआउट और संकेत बोर्ड।
- (ii) व्यवहारिक और सिद्धांत आधारित प्रशिक्षण कक्षा।
- (iii) मशीनरी- मशीन: प्रशिक्षुओं का अनुपात आरएसए द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार होगा।
- (iv) उद्योग के बेंचमार्क और आरएसए द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार प्रशिक्षण सहायता और उपकरण।
- (v) प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं दोनों के लिए आधार अधिप्रमाणित बायोमीट्रिक उपस्थिति की सुविधा।
- (vi) अग्नि-शमन उपकरण।
- (vii) प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता, पेयजल और शौचालय की सुविधा।
- (viii) पावर बैक-अप।
- (ix) कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और सामान्य क्षेत्रों में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की सुविधाएं।

3.4 प्रशिक्षण केंद्र की ब्रांडिंग

लक्षित लाभार्थियों में जागरूकता लाने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को योजना तथा उनके प्रशिक्षण केंद्रों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। भारत सरकार के सभी कौशल पहलों में समानता को बनाए रखने के लिए एमएसडीई द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इस योजना के लिए सामान्य ब्रांडिंग को अपनाया जाएगा।

3.5 प्रशिक्षुओं को इकट्ठा करना और उनका चयन

क्रियान्वयन एजेंसियां उद्योग और अन्य हितधारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी इच्छुक व्यक्तियों को अवसर प्रदान करके पारदर्शी तरीके से प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित करने और उनका चयन करने के लिए जिम्मेदार होंगी। महिलाओं, एससी/एसटी, विकलांगों, अल्पसंख्यकों, गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी वाले व्यक्तियों जैसे सीमांत सामाजिक समूहों और नीति आयोग द्वारा अधिसूचित 115 महत्वाकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा, मंत्रालय एक वेब और मोबाइल ऐप आधारित प्लेटफार्म प्रचालित करेगा जहां प्रशिक्षण पर जाने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं।

3.5.1 प्रोत्साहित करना

अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए आईए निम्नलिखित मीडिया चैनलों का प्रयोग करेंगे:

- (i) **प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया:** रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, बिलबोर्ड, मोबाइल फोन इत्यादि।
- (ii) **सोशल मीडिया:** फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप इत्यादि।
- (iii) **शिविरों/मेलों के माध्यम से जागरूकता**
- (iv) **मीडिया के अन्य स्वरूप:** पोस्टर, फ्लायर्स, लीफलेट, दिशानिर्देश, प्रशिक्षण सामग्री, स्टैंडएलोन बैनर इत्यादि।

3.5.2 प्रशिक्षुओं का चयन

प्रशिक्षुओं की पहचान करने के लिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी होगी। प्रशिक्षु भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए (जब तक उसे आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत छूट न प्रदान की गई हो)।

3.6 आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति

प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं की वास्तविक समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत एमआईएस से जुड़ी अनिवार्य आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अपनाया जाएगा। तथापि, ऐसे क्षेत्र (असम, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर राज्य) जिन्हें आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है, में स्थित प्रशिक्षण केंद्रों के संबंध में मामला-दर-मामला आधार पर अनिवार्य आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति से संबंधित छूट प्रदान की जा सकती है।

3.7 प्रशिक्षक और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)

प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र योग्य प्रशिक्षक और सहायक स्टाफ द्वारा संचालित किए जाएंगे। व्यापक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। एमएसडीई के सामान्य मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुरूप आरएसए और क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

3.8 पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु

प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की विषय वस्तु आवश्यकता आधारित होगी ताकि श्रम कानूनों के बारे में जागरूकता सहित संबंधित औद्योगिकी क्षेत्र के सर्वोच्च मानकों और आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

इसका निर्माण उद्योग के परामर्श से वस्त्र समिति (आरएसए) द्वारा किया जाएगा। मल्टी मीडिया की विषय वस्तु तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के अन्य अनुप्रयोगों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रशिक्षुओं को केवल एनएसक्यूएफ के अनुरूप और वस्त्र समिति द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाएगी।

3.9 सॉफ्ट स्किल

लक्षित क्षेत्र विशिष्ट हार्ड स्किल के अलावा इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को सॉफ्ट स्किल (जीवन प्रबंधन कौशल) प्रदान करना भी है। प्रशिक्षण केंद्रों को बातचीत करने की योग्यता, भाषा कौशल, व्यक्तिगत आदत, ज्ञान अथवा भावनात्मक समानुभूति, समय प्रबंधन, सामूहिक कार्य और नेतृत्व की भावना सहित व अन्य विषयों में न्यूनतम 30 घंटे का सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

3.10 प्रशिक्षण गुणवत्ता

क्रियान्वयन एजेंसियां प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित का पालन करेंगी:

- (i) प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में टीओटी के माध्यम से प्रमाणित पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षक और सहायक स्टाफ होंगे।
- (ii) प्रशिक्षुओं को पाठ्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता के बारे में (थियोरी और प्रैक्टिकल के लिए) फीडबैक देना होगा जिसे आरएसए द्वारा सत्यापन और मूल्यांकन के लिए आईए द्वारा रखा जाएगा। इन फीडबैकों के कुछ न्यूनतम प्रतिशत को पीएमयू द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- (iii) संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनिवार्य रूप से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाएगी। क्रियान्वयन एजेंसी (आईए) इन रिकॉर्डिंगों को न्यूनतम एक वर्ष तक रखेगी।

4. मूल्यांकन और प्रमाणन

सभी पात्र प्रशिक्षुओं के लिए तृतीय पक्ष मूल्यांकन और प्रमाणन अनिवार्य होगा। आरएसए एमएसडीई के सामान्य मानदंडों के अनुरूप मूल्यांकन प्रोटोकॉल और क्रियाविधि को निर्दिष्ट करेगा।

4.1 मूल्यांकन प्रोटोकॉल

सामान्य मानदंडों के अनुसार आरएसए द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा और पैनलबद्ध मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

4.2 तृतीय पक्ष मूल्यांकन

- 4.2.1 आरएसए द्वारा पैनलबद्ध की गई मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षुओं का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन एजेंसियां समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करना सुनिश्चित करेंगी। मूल्यांकन करने के लिए पैनलबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं को ही अनुमति दी जाएगी। मूल्यांकन के परिणाम को मूल्यांकन के दिन एमआईएस पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालय मूल्यांकन प्रक्रिया निगरानी करने के लिए एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त करेगा। आरएसए भी मूल्यांकन की प्रक्रिया को निगरानी करने के लिए आकस्मिक दौरा करेगा। यदि कोई विसंगति पाई जाती है अथवा किसी मूल्यांकन एजेंसी द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया में समझौता किया जाता है तो दंड के मेट्रिक्स के प्रावधानों के अनुसार उनका दंडित किया जाएगा।

4.2.2 अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के पश्चात प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों वाला एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा:

प्राप्तांक	श्रेणी
> 85%	ए
70% - 85%	बी
60% - 69%	सी

4.3 क्रियान्वयन एजेंसी की गुणवत्ता लेखापरीक्षा टीम

क्रियान्वयन एजेंसियों को एक आंतरिक लेखा परीक्षा गुणवत्ता टीम की स्थापना करना अपेक्षित होगा जो योजना के दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार आईए द्वारा प्रचालित प्रशिक्षण केंद्र के क्रियाकलाप की जांच करने के लिए जिम्मेदार होगी। गुणवत्ता टीम मासिक आधार पर प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा करेगी और उसी दिन एमआईएस पर तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. तैनाती और तैनाती के पश्चात ट्रेकिंग

5.1 रोजगार सहबद्धता

क्रियान्वयन एजेंसियां उद्योग के साथ साझेदारी करने और सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किए गए अभ्यर्थियों के रोजगार के लिए औद्योगिकी इकाइयों की प्रतिबद्धता के लिए सभी उपाय करेगी।

5.2 प्लेसमेंट

- 5.2.1** इस योजना के अंतर्गत सफल प्रशिक्षुओं की 70% प्लेसमेंट की जाएगी। संगठित क्षेत्र के पाठ्यक्रमों के लिए सभी 70% वैतनिक रोजगार में होने चाहिए। तथापि, परंपरागत क्षेत्र (हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं पटसन) के मामले में सामान्य मानदंडों के अनुरूप स्वरोजगार में संतुलन के साथ कम से कम 50% वैतनिक रोजगार होना चाहिए। इसके अलावा अधिकार प्राप्त समिति परंपरागत क्षेत्र में प्रदान किए गए प्रशिक्षणों के संबंध में प्लेसमेंट के मानदंड में छूट दे सकती है और वेतन तथा स्वरोजगार की प्रतिशतता में बदलाव कर सकती है।
- 5.2.2** मूल्यांकन के पश्चात आईए प्रशिक्षण पूरा होने के तीन महीने के भीतर सफल अभ्यर्थियों की प्लेसमेंट सुनिश्चित करेगी।
- 5.2.3** वैतनिक रोजगार के मामले में अभ्यर्थियों को ऐसी नौकरी दी जानी चाहिए जिसमें उन्हें निर्धारित न्यूनतम वेतन के कम से कम समान वेतन प्रदान किया जाए और ऐसे अभ्यर्थियों को न्यूनतम 3 महीनों तक नौकरी में रहना चाहिए।
- 5.2.4** स्वरोजगार के मामले में अभ्यर्थियों को आजीविका को बढ़ाने वाले लाभप्रद व्यवसाय में नियोजित किया जाना चाहिए। यह दस्तावेजी साक्ष्य जैसे एक उद्यम की स्थापना करने अथवा उत्पादक समूह का सदस्य बनने के लिए व्यापार लाइसेंस अथवा अपना व्यवसाय करने हेतु, लिए गए ऋण के लिए ऋण दस्तावेज अथवा अतिरिक्त आय (बैंक विवरण के माध्यम से) का प्रमाण, के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए।
- 5.2.5** स्वरोजगार के मामले में उपर्युक्त 5.2.4 के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा अपने स्वरोजगार की पुष्टि करते हुए अभ्यर्थी द्वारा दिया गया एक स्वयं का घोषणा पत्र आईए द्वारा प्रदान किया

जाएगा। इसके अलावा आईए को ऐसे अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत रियायती ऋण उपलब्धता कराना अपेक्षित होगा।

5.3 प्लेसमेंट पश्चात ट्रेकिंग

प्रशिक्षण के प्रमाणन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक आईए द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षु को ट्रेक किया जाएगा। आईए सहायक दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रत्येक महीने एमआईएस पर प्लेसमेंट और ट्रेकिंग का विवरण अपलोड करेगा। एमआईएस में ट्रेकिंग के लिए एक नई प्रणाली विकसित की जाएगी जो ट्रेकिंग प्रणाली के लिए स्वयं प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षुओं के लिए प्रौद्योगिकी (वेब एवं मोबाइल आधारित) का प्रयोग करेगी। ट्रेकिंग के मापदंड निम्नानुसार होंगे:

- (i) पारिश्रमिक।
- (ii) क्या ट्रेकिंग अवधि के अंत तक उसी काम को अथवा उससे उच्च काम की भूमिका को जारी रखता है (चाहे वही नियोक्ता हो अथवा कोई अन्य)।
- (iii) क्या विभिन्न नौकरियों, ऐसे अंतरों की अवधि और नौकरी मिले बिना पहले वाली नौकरी छोड़ने के कारण के बीच बेरोजगारी की कोई अवधि है।

6. निगरानी और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

6.1 मंत्रालय के फील्ड कार्यालय अर्थात विकास आयुक्त (हथकरघा), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, वस्त्र आयुक्त, पटसन आयुक्त और केंद्रीय रेशम बोर्ड आदि प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) का भौतिक सत्यापन करेंगे। लक्ष्य आवंटन हेतु प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता के मूल्यांकन सहित, प्रशिक्षण केंद्रों की अवसंरचना का सत्यापन, अनुमोदित एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रमों के लिए आरएसए द्वारा परिभाषित पाठ्यक्रम-वार मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। चालू प्रशिक्षण केंद्रों के निरीक्षण के लिए मासिक दौरे भी किए जाएंगे। प्रशिक्षण केंद्रों के सत्यापन और वास्तविक समय आधार पर एमआईएस पर रिपोर्ट को अपलोड करने के लिए जियो-टैग की विशेषताओं से युक्त मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाएगा।

6.2 योजना की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीकृत वेब-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) कायम की जाएगी। एमआईएस, योजना के अधीन आईए और अन्य हितधारकों के पंजीकरण के लिए एक एकीकृत प्लेटफार्म की तरह काम करेगा। कार्यक्रम प्रबंधन और कार्यान्वयन के सभी पहलुओं जैसे कि प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण, निधियों का निर्गम, अभ्यर्थियों का नामांकन, प्रशिक्षण का कार्यकरण, भौतिक सत्यापन, मूल्यांकन, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट पश्चात ट्रेकिंग आदि का प्रबंधन एमआईएस के माध्यम से किया जाएगा। वेबसाइट पर एक केंद्रीय आवेदन प्रस्तुतीकरण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसके माध्यम से आईए अपने को पैनल में शामिल करवाने हेतु आवेदन करेंगे। एमआईएस वेब के जरिए किसी हितधारक की शिकायतों को पंजीकृत करने, संदर्भ संख्या के माध्यम से इनके समाधान की स्थापना का पता लगाने, समय सीमा बनाए रखने के लिए अलर्ट सृजित करने, निर्धारित समय सीमाओं के भीतर समाधान न होने की स्थिति में शिकायतों को अगले स्तर तक ले जाने और शिकायत दर्ज कराने वाले हितधारक को इसके समाधान के बारे में सूचित करने हेतु एक ढांचागत शिकायत निवारण सुविधा होगी।

6.3 कॉल सेंटर

6.3.1 पीएमयू द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग सुविधा और क्षेत्रीय हेल्प डेस्क युक्त कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी जो प्रशिक्षणार्थियों और प्लेसमेंट एजेंसियों से फीडबैक प्राप्त करेगा।

6.3.2 कॉल सेंटर में एमआईएस और पब्लिक डैशबोर्ड से जुड़ा एक हेल्पडेस्क/टॉल-फ्री नम्बर होगा जिसमें विभिन्न हितधारकों की शंकाओं/शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

6.4 मोबाइल एप्लीकेशन

मानीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एवं मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया जाएगा और एमआईएस मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। यह लाभार्थियों तथा आईए की सूचना सहित योजना के विवरण उपलब्ध कराएगा। यह निम्नलिखित विशेषताओं के साथ विभिन्न हितधारकों के लिए विकसित किया जाएगा:

- (i) प्रशिक्षण केंद्र की जियो-टेग्ड और टाइम स्टेम्प्ड फोटो अपलोड करने तथा नए प्रशिक्षण केंद्र के पंजीकरण हेतु प्रशिक्षण केंद्र समन्वयकर्ता के लिए ऐप।
- (ii) नए प्रशिक्षण केंद्र के लिए प्रमाणन और क्षमता मूल्यांकन और चालू प्रशिक्षण केंद्र के इसके आकस्मिक दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निरीक्षण एजेंसी के लिए ऐप।
- (iii) विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन हेतु ऐप।
- (iv) शिकायत दर्ज करने और एमआईएस के जरिए इसकी स्थिति का पता लगाने हेतु ऐप।

6.5 रिपोर्टिंग तंत्र

6.5.1 पीएमयू मासिक आधार पर योजना की प्रगति रिपोर्ट और मुख्य बातें “समर्थ” के प्रभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो सचिव को उसके बारे में अवगत कराएगा।

6.5.2 अधिकार प्राप्त समिति तिमाही आधार पर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी।

वित्त पोषण

7.1 योजना सहायता केवल योजना के अधीन मंत्रालय द्वारा सहमत एमएसडीई के सामान्य मानदंडों के अंतर्गत शामिल किए गए लागत शीर्षों के लिए ही होगी। सूचना विवरणी जिसमें 1300 करोड़ रुपए के संभावित परिव्यय की तुलना में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का घटक-वार वित्त पोषण दिया गया है, अनुबंध-III में दी गई है।

7.2 जारी की गई निधियों को एमआईएस पर अद्यतन की गई वास्तविक प्रगति से जोड़ा जाएगा। आईए को निधियों के उपयोग के प्रति जीएफआर प्रक्रिया का पालन करना होगा और दावों के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि उपयोग प्रमाणपत्र, व्यय विवरणी, मूल्यांकन प्रमाण पत्र, परियोजना प्रगति रिपोर्ट आदि लगाए जाएंगे। कार्यान्वयन एजेंसियों को योजना के अधीन उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के संबंध में पीएफएमएस (व्यय अग्रिम और अंतरण मॉड्यूल) को कार्यान्वित करना होगा। आईए निम्नलिखित मानदंडों, जो नीचे दिए गए हैं लेकिन उन तक सीमित नहीं हैं, का पालन करना होगा:

- (i) कुल परियोजना लागत की 7.5% की राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा करना जो परियोजना के पूरा होने की तारीख से आगे साठ दिन की अवधि के लिए वैध रहेगी;
- (ii) पीएफएमएस पर एक समर्पित एस्करो बैंक खाता खोलना और वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करना;
- (iii) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार त्रैमासिक लेखापरीक्षा, वार्षिक लेखापरीक्षा और परियोजना के पूरा होने के बाद अंतिम लेखापरीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा की नियुक्ति;
- (iv) स्वीकृति आदेश जारी होने के एक माह के भीतर एमआईएस पर लेखापरीक्षक के विवरण अपलोड करना;
- (v) मंत्रालय/पीएमयू को लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियां प्रस्तुत करना;
- (vi) मंत्रालय द्वारा मांगे गए कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना।

7.3 प्रशिक्षण के बाद इस सेक्टर में महिलाओं की नियुक्ति के उच्च स्तरों को देखते हुए, सभी सहभागी संस्थाओं और नियोक्ताओं को इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र बनने के लिए महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित की जाने वाली आंतरिक शिकायत समिति से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

7.4 एमएसडीई के सामान्य मानदंडों के अनुसार लागत शीर्ष

7.4.1 वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न ट्रेडों के लिए एमएसडीई द्वारा सामान्य मानदंडों के अंतर्गत यथा अधिसूचित क्रियान्वयन एजेंसियों को आधार लागत प्रदान की जाएगी। सामान्य मानदंडों के अंतर्गत आधार लागत के लिए घंटे की दरों में कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल निम्नलिखित लागत संघटक शामिल होंगे:

- (i) उम्मीदवारों को इकठ्ठा करना
- (ii) पाठ्यचर्या
- (iii) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
- (iv) उपस्कर
- (v) अवसंरचना लागत/उपयोगी सुविधाओं का परिशोधन
- (vi) शिक्षण सहायता
- (vii) कच्ची सामग्री
- (viii) प्रशिक्षकों का वेतन
- (ix) तैनाती खर्च
- (x) तैनाती के बाद ट्रेकिंग/निगरानी

तथापि, यदि क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा वास्तव में व्यय की गई प्रति प्रशिक्षु लागत उपर्युक्त आधार लागत के अनुसार गणना की गई लागत से कम है तो आईए को केवल वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.4.2 जहां कोई भी कार्यान्वयन एजेंसी किसी भी अन्य योजना के तहत किसी भी अन्य लागत संघटक के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार से पहले से सहायता प्राप्त कर रही हो अथवा जहां प्रशिक्षण में सरकारी अवसंरचना शामिल हो, एमएसडीई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लागत मानदंडों के अनुसार भारत सरकार के हिस्से से उचित कटौती की जाएगी।

7.4.3 पैनलबद्ध एजेंसी को प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के मूल्यांकन एवं प्रमाणन के लिए लागत का भुगतान आरएसए के माध्यम से 800 रुपए प्रति अभ्यर्थी की दर से अलग से किया जाएगा।

7.5 आईए को निधियां जारी करना

7.5.1 निधियों को जारी करने का कार्यक्रम निम्नानुसार होगा:

किश्त	कुल लागत का %	परिणाम मापदंड
पहली	30%	सत्यापित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण शुरू होने पर
दूसरी	50%	अभ्यर्थियों के सफलतापूर्वक प्रमाणन तथा प्रमाणित अभ्यर्थियों में से 70% की प्लेसमेंट पर
तीसरी	20%	रोजगार में 3 माह तक बने रहने के परिणाम के आधार पर

- 7.5.2** दूसरी किशत की गणना तीसरे पक्ष के आकलन में वास्तव में सफल पाए गए प्रशिक्षुओं, जिनमें से कम से कम 70% को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के पूरा होने के 3 महीने के भीतर रोजगार प्राप्त हुआ हो, के लिए बकाया राशि के 80% के आधार पर की जाएगी। प्लेसमेंट मानदंडों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त पैरा 5.2 के तहत प्रावधानों का पालन किया जाएगा। यदि प्लेसमेंट (3 महीने की अवधि के भीतर) सफल प्रशिक्षुओं के 70% से कम है, तो किशत की गणना उस संख्या के लिए की जाएगी जो रोजगार प्रतिशत को 70% बनाती है। पहली किशत के तहत जारी की गई निधि के 100% उपयोग का प्रमाण-पत्र समय-समय पर मंत्रालय द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। ड्रॉपआउट के संबंध में पहली किशत में किए गए भुगतान को इस किशत में समायोजित किया जाता है।
- 7.5.3** तीसरी किशत की गणना तीसरे पक्ष के मूल्यांकन में सफल पाए जाने वाले प्रशिक्षुओं के लिए 100% राशि के आधार पर की जाएगी, जिनमें से कम से कम 70% न्यूनतम तीन महीने के लिए समान अथवा उच्च स्तर में, उसी अथवा किसी अन्य नियोक्ता के साथ, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर मजदूरी के साथ रोजगार में बने रहे हों। यदि प्रतिधारण 70% से कम है, तो किशत की गणना उस संख्या के लिए की जाएगी जो प्रतिधारण प्रतिशत को 70% बनाती है। तीसरी किशत के जारी किए जाने के लिए, दूसरी किशत के तहत जारी किए गए फंड के 100% उपयोग के प्रमाण पत्र को प्लेसमेंट की तारीख से कम से कम 3 महीने के लिए नियुक्ति में रहने वाले प्रशिक्षुओं के प्लेसमेंट पश्चात् रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 7.5.4** गणितीय रूप में, किशत राशि की गणना निम्नानुसार की जा सकती है।

मान लीजिए एन = किसी आईए के लिए स्वीकृत प्रशिक्षण लक्ष्य
यू = यूनिट प्रशिक्षण लागत (आधारभूत लागत के आधार पर) पूरे पाठ्यक्रम के लिए
सी = पैनलबद्ध मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा किए गए मूल्यांकन में सफल पाए गए प्रशिक्षुओं (\leq एन) की संख्या
पी = उपर्युक्त पैरा 5.2 के अनुसार प्लेसमेंट मापदंडों को पूरा करने वाले नियुक्त प्रशिक्षुओं (\leq सी) की संख्या (पाठ्यक्रम के संगठित क्षेत्र अथवा परंपरागत क्षेत्र में होने के आधार पर)
आर = प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं (पी) में से न्यूनतम 3 माह तक नियुक्ति में रहने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या

$$\text{पहली किशत, } I_1 = 0.3 \times \text{एन} \times \text{यू}$$

$$\begin{aligned} \text{दूसरी किशत, } I_2 &= (0.8 \times \text{सी} \times \text{यू}) - I_1 && \text{यदि पी} \geq \text{सी का 70\%} \\ &= \frac{(0.8 \times \text{पी} \times \text{यू})}{0.7} - I_1 && \text{यदि पी} < \text{सी का 70\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{तीसरी किशत, } I_3 &= (\text{सी} \times \text{यू}) - I_1 - I_2 && \text{यदि आर} \geq \text{सी का 70\%} \\ &= \frac{(\text{आर} \times \text{यू})}{0.7} - I_1 - I_2 && \text{यदि आर} < \text{सी का 70\%} \end{aligned}$$

7.5.5 किश्त की गणना का उदाहरण (अनुबंध पर “समर्थ” के लागत विवरण के अनुसार):

आईए को परिधान निर्माण पाठ्यक्रम के संचालन के लिए दिया गया लक्ष्य	1000 प्रशिक्षु
10,380 रु. प्रति प्रशिक्षु की दर से कुल परियोजना लागत (आईए के वास्तविक लागत के अध्यक्षीन, जो भी कम हो).	1,03,80,000.00 रु.
पहली किश्त (I_1) का जारी किया जाना अर्थात सत्यापित अभ्यर्थियों की तुलना में कुल परियोजना लागत का 30% अर्थात 1,03,80,000 रु. X 30% = 31,14,000 रु.	31,14,000.00 रु.
दूसरी किश्त (I_2) का जारी किया जाना अर्थात कुल परियोजना लागत का संचयी 80% (क) यह मानते हुए कि सभी 1000 प्रशिक्षुओं का सफलतापूर्वक प्रमाणन कर दिया गया है तथा न्यूनतम 70% अर्थात 700 से अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्ति दी गई है, उदाहरणस्वरूप इस मामले (पी) में 850 $I_2 = 1,03,80,000 \text{ रु.} \times 0.8 - I_1 = 51,90,000.00 \text{ रु.}$	51,90,000.00 रु.
(ख) यदि सफलतापूर्वक प्रमाणित प्रशिक्षुओं की संख्या 900 है तथा न्यूनतम 70% अर्थात 630 से अधिक को नियुक्ति दी गई है, इस मामले (पी) में उदाहरण के लिए 700 $I_2 = (10,380 \text{ रु.} \times 900 \times 0.8) - I_1$ $= 74,73,600 \text{ रु.} - 31,14,000 \text{ रु.} = 43,59,600 \text{ रु.}$	43,59,600.00 रु.
(ग) यदि सफल प्रमाणित प्रशिक्षुओं की संख्या 900 है, जिनमें से केवल 600 को नियुक्ति दी गई है (अर्थात 70% से कम) किश्त की गणना निम्नानुसार की जाएगी: जिन प्रशिक्षुओं के लिए भुगतान बकाया है $= \frac{600}{0.7}$ $= 857.14$ अर्थात पूर्णांक 858 $I_2 = (10,380 \text{ रु.} \times 858 \times 0.8) - I_1$ $= 71,24,832 \text{ रु.} - 31,14,000 \text{ रु.} = 40,10,832 \text{ रु.}$	40,10,832.00 रु.

<p>तीसरी किश्त (I_3) का जारी किया जाना अर्थात् कुल परियोजना लागत का शेष 20%</p> <p>नियुक्ति प्राप्त करने वाले ऐसे प्रशिक्षुओं (आर) की संख्या का पता लगाएं जो कम से कम 3 माह नियुक्त में रहे हों</p> <p>ऊपर (क) के मामले में:</p> <p>(i) यदि $850 \geq \text{आर} \geq 700$</p> $I_3 = 1,03,80,000 \text{ रु.} - I_1 - I_2$ $= 1,03,80,000 \text{ रु.} - 31,14,000 - 51,90,000 = 20,76,000 \text{ रु.}$ <p>(ii) यदि $\text{आर} < 700$, उदाहरण के लिए 600</p> <p>तब बकाया भुगतान के लिए प्रशिक्षु = $600 / 0.7 = 858$ (पूर्णांक)</p> $I_3 = 10,380 \text{ रु.} \times 858 - I_1 - I_2 = 6,02,040 \text{ रु.}$	<p>20,76,000.00 रु.</p> <p>6,02,040 रु.</p>
<p>ऊपर (ख) के मामले में:</p> <p>(i) यदि $700 \geq \text{आर} \geq 630$</p> $I_3 = (10,380 \text{ रु.} \times 900) - I_1 - I_2$ $= 93,42,000 \text{ रु.} - 31,14,000 - 43,59,000 = 18,69,000 \text{ रु.}$ <p>(ii) यदि $\text{आर} < 630$, उदाहरण के लिए 600</p> <p>तब बकाया भुगतान के लिए प्रशिक्षु = $600 / 7 = 858$ (पूर्णांक)</p> $I_3 = (\text{रु.}10,380 \times 858) - I_1 - I_2 = 14,33,040 \text{ रु.}$	<p>18,69,000 रु.</p> <p>14,33,040 रु.</p>
<p>ऊपर (ग) के मामले में :</p> <p>(i) यदि $\text{आर} = 600$ अर्थात् सभी नियुक्त प्रशिक्षु 3 माह तक रोजगार में रहे</p> <p>(ii) $I_3 = (10,380 \text{ रु.} \times 858) - I_1 - I_2$</p> $= 93,42,000 \text{ रु.} - 31,14,000 - 40,10,832 = 17,81,208 \text{ रु.}$ <p>(iii) यदि $\text{आर} < 600$, उदाहरण के लिए 500</p> <p>तब बकाया भुगतान के लिए प्रशिक्षु = $500 / 0.7 = 715$ (पूर्णांक)</p> $I_3 = (10,380 \text{ रु.} \times 715) - I_1 - I_2 = 2,96,868 \text{ रु.}$	<p>17,81,208 रु.</p> <p>2,96,868 रु.</p>

8. करार पर हस्ताक्षर

प्रत्येक आईए को स्वीकृत परियोजना तथा योजना के अंतर्गत आबंटित लक्ष्य के लिए मंत्रालय के साथ करार पर हस्ताक्षर करने होंगे।

9. शिकायत निवारण

- 9.1** किसी भी हितधारक से योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाएगा। किसी भी शिकायत को तीन तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है - कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप या स्कीम वेबसाइट, जैसा ऊपर पैरा 6.2 से 6.4 में बताया गया है। इसे तत्काल एमआईएस में पंजीकृत किया जाएगा और ऑनलाइन ट्रेकिंग की सुविधा के लिए संदर्भ संख्या के साथ तुरंत पावती दी जाएगी।
- 9.2** प्रत्येक शिकायत को एमआईएस के माध्यम से संबंधित व्यक्ति/एजेंसी के ऊपर के एक स्तर तक 15 दिनों के अंदर निपटान के लिए अग्रेषित किया जाएगा। यदि 15 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है, तो इसे एमआईएस द्वारा मंत्रालय में "समर्थ" के प्रभारी निदेशक को अगले 21 दिनों के भीतर निवारण के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, जिसे शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) के रूप में नामित किया जाएगा।
- 9.3** यदि शिकायत करने वाला हितधारक उसे दिए गए निर्णय/समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्णय/समाधान की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जीआरओ को अपील कर सकता है। जीआरओ के निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील संयुक्त सचिव, "समर्थ" के प्रभारी के पास की जाएगी, जिसे उचित समय के भीतर हल किया जाएगा।
- 9.4** जीआरओ मासिक आधार पर शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी करेगा। शिकायत रिपोर्ट का सार, की गई कार्रवाई सहित अधिकार प्राप्त समिति के सामने सूचना और आवश्यक मार्गदर्शन के लिए रखा जाएगा।

अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की संरचना

1.	केंद्रीय वस्त्र मंत्री	अध्यक्ष
2.	वस्त्र राज्य मंत्री, वस्त्र मंत्रालय	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
4.	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
5.	सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	सदस्य
8.	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
9.	सचिव, जनजातीय मामले मंत्रालय	सदस्य
10.	सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग (डोनर)	सदस्य
11.	सलाहकार (वस्त्र के प्रभारी), नीति आयोग	सदस्य
12.	वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
13.	विशेष सचिव/अपर सचिव, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
14.	वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई	सदस्य
15.	विकास आयुक्त (हथकरघा)	सदस्य
16.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	सदस्य
17.	पटसन आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, कोलकाता	सदस्य
18.	सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बंगलुरु	सदस्य
19.	सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई	सदस्य
20-25.	क्रियान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि (6)	सदस्य
26.	संयुक्त सचिव ("समर्थ" के प्रभारी), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य सचिव

अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य (राज्य प्रतिनिधि/उद्योग प्रतिनिधि आदि) को आवश्यकता के अनुसार सहयोजित कर सकते हैं।

अनुबंध-II

अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की संरचना

1.	सचिव, वस्त्र मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
3.	विकास आयुक्त (हथकरघा)	सदस्य
4.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	सदस्य
5.	वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई	सदस्य
6.	पटसन आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, कोलकाता	सदस्य
7.	सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु	सदस्य
8.	सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई	सदस्य
9.	वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
11.	नीति आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य
12.	संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों के प्रतिनिधि (वस्त्र क्षेत्र में तीन एसएससी में से प्रत्येक से एक-एक)	सदस्य
13.	संयुक्त सचिव ("समर्थ" के प्रभारी), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य सचिव

अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य (राज्य प्रतिनिधि/उद्योग प्रतिनिधि आदि) को आवश्यकता के अनुसार सहयोजित कर सकते हैं।

अनुबंध-III

“समर्थ” की विस्तृत लागत									
क्षेत्र / उप-क्षेत्र	परिधान विनिर्माण, फैशन डिजाइन	परिधान निर्माण	वस्त्र, निटिंग, प्रसंस्करण, अन्य मानव निर्मित एवं सिंथेटिक फाइबर	हथकरघा रेशम, पटसन	हस्तशिल्प एवं कालीन	प्रशासनिक व्यय	कुल		
लागत श्रेणी(सामान्य नियमों की अनुसूची-II के अनुसार)	I	II	I	I	II		-		
लागत प्रति घंटा (रुप में)	40.40	34.60	40.40	40.40	34.60		-		
300 घंटे के पाठ्यक्रम की लागत -लेवल 2 पाठ्यक्रम (रुप में) - क	12,120	10,380	12,120	12,120	10,380		-		
लागत + मूल्यांकन शुल्क (800/-रुप) -ख	12,920/-	11,180/-	12,920/-	12,920/-	11,180/-		-		
प्रशिक्षुओं की संख्या (लाख में)	6.30	1.50	0.80	0.48	0.52		9.6		
लेवल 2 पाठ्यक्रम के लिए ख के अनुसार निधि की आवश्यकता (करोड़ रुप में) - ग	813.96	167.70	103.36	62.01	58.13	31.04	1236.20	करोड़	
ऊपर औसतन 375 घंटों के लेवल 2 (लेवल 3 से 5) के पाठ्यक्रम की लागत + मूल्यांकन शुल्क (रुप में) - घ	15,950/- रुपए								
लेवल 2 से ऊपर पाठ्यक्रमों के लिए निधि की आवश्यकता (0.4 लाख प्रशिक्षुओं के लिए) - ङ	0.4 लाख X15,950/- रुपए = 63.80 करोड़ रुपए						63.80	करोड़	
कुल	1300 करोड़ रुपए								

Guidelines for Samarth - Scheme for Capacity Building in Textile Sector Under the Skill India Mission

Introduction

The textile and apparel industry is one of the earliest industries developed in India. Its entire value chain from fiber to apparel manufacturing has a strong presence within the country. It is the biggest employer after agriculture. In order to meet the skill gap in the industry and also to supplement its efforts initiated through the Special Package for Garments and Made-ups, the Government has approved the new scheme titled “Scheme for Capacity Building in Textile Sector (SCBTS)” for the entire value chain of textiles except Spinning and Weaving in the organized sector, for a period of three years from 2017-18 to 2019-20 with an outlay of Rs. 1300 crore. The guidelines of the scheme are laid down as under:

1. Name and Objectives of the Scheme

1.1 The ‘Scheme for Capacity Building in Textile Sector (SCBTS)’ shall be known by the name “समर्थ (Samarth)”, signifying the broad objective of the scheme to skill the youth for gainful and sustainable employment in the textile sector.

1.2 Objectives:

- (i) To provide demand driven, placement oriented National Skills Qualifications Framework (NSQF) compliant skilling programmes to incentivize and supplement the efforts of the industry in creating jobs in the organized textile and related sectors, covering the entire value chain of textiles, excluding Spinning and Weaving.
- (ii) To promote skilling and skill upgradation in the traditional sectors of handlooms, handicrafts, sericulture and jute.
- (iii) To enable provision of sustainable livelihood either by wage or self employment to all sections of the society across the country.

1.3 The Scheme would target to train 10.00 lakh persons (9 lakhs in organised & 1 lakh in traditional sector) over a period of 3 years (2017-20).

2. Institutional Mechanism

2.1 Inter-Ministerial Committee

2.1.1 An Inter-Ministerial Committee (IMC) under the Chairpersonship of the Minister of Textiles will be constituted with the composition as given in **Annexure-I**.

2.1.2 The IMC will have an overall supervisory role to monitor the progress of the scheme on a half-yearly basis.

2.2 Empowered Committee (EC)

2.2.1 There shall be an Inter-ministerial Empowered Committee to be chaired by the Secretary (Textiles). The composition of EC is given at **Annexure-II**.

2.2.2 The Committee shall have the following mandate:

- (i) Effective monitoring and implementation of the scheme.
- (ii) Approval of the Detailed Project Reports (DPR) submitted by the Implementing Agencies (IA).
- (iii) Approval of Standard Operating Procedures (SOPs) relating to various aspects of the scheme.
- (iv) Provide interpretation to the operational guidelines.
- (v) Any amendment to the scheme guidelines involving issues other than financial.

2.3 The Division in-charge of “समर्थ (Samarth)” will be assisted in the implementation of the scheme by the **Project Management Unit (PMU)** selected through a transparent bidding process as per GFR.

2.4 Resource Support Agency

The Textiles Committee will be the Resource Support Agency (RSA) which shall perform the following functions:

- (i) To identify and finalize the skill development needs in consultation with the Sector Skill Councils (SSCs) and industry.
- (ii) To standardize the course content and to develop the content.
- (iii) To specify the Training Centre’s infrastructure with reference to the NSQF courses.
- (iv) To standardize the admission, assessment, certification and accreditation processes in consultation with the SSCs and industry to ensure consistency and acceptability by various stakeholders.
- (v) To empanel Assessment Agencies and to monitor their performance.
- (vi) To conduct Training of Trainers (ToTs) and Training of Assessors (ToAs) in coordination with the respective SSCs.
- (vii) To conduct skill gap studies from time to time and build up skill database for the industry.
- (viii) To study the global scenario and best practices in skilling in the textile sector.

2.5 Proposal Evaluation Committee

There will be a Proposal Evaluation Committee (PEC) with following composition for evaluation of the proposals submitted by the Implementing Agencies (IAs) for empanelment:

1.	Joint Secretary [Incharge of “समर्थ (Samarth)”, Ministry of Textiles	Chairperson
2.	Director/DS, Internal Finance Wing (IFW), Ministry of Textiles	Member
3.	Director/DS [Incharge of “समर्थ (Samarth)”, Ministry of Textiles	Member

The representatives from the Office of DC(Handloom), DC(Handicraft), Textiles Commissioner, Jute Commissioner and Central Silk Board may also be invited to attend the meeting when their proposals are evaluated.

3. Implementation Framework

Overall framework for implementation including costing for the capacity building programmes will be in alignment with the broad policy framework for skill development viz. Common Norms, National Skills Qualifications Framework (NSQF) etc. adopted by Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE). The scheme would include Entry level courses and Training of Trainers programme.

3.1 Implementing Agencies (IA)

The skilling programmes will be implemented through the following Implementing Agencies:

- (i) Textile Industry.
- (ii) Institutions/ Organizations of the Ministry of Textiles/ State Governments having training infrastructure and placement tie-ups with the textile industry.
- (iii) Reputed training institutions/ NGOs/ Societies/ Trusts/ Organizations/ Companies /Start Ups / Entrepreneurs active in the textile sector having placement tie-ups with textile industry.

3.2 The empanelment of Implementing Agencies will be based on the following parameters:

- (i) Organization credentials.
- (ii) Past experience of skilling in the textile sector.
- (iii) Financial strength.
- (iv) Training Infrastructure, particularly in Aspirational Districts notified by the NITI Aayog.

3.3 Approval of Training Centres

The selected implementing agencies shall have to provide the training centres with requisite infrastructure and facilities at their own cost. Construction of new building is not permitted under the Scheme. The training centers should be equipped with the following:

- (i) Furniture, layout and signage board.
- (ii) Practical and Theory training room.
- (iii) Machinery - Machine : Trainee ratio shall be in line with the course requirements specified by the RSA.
- (iv) Training aids and equipment, as per industry benchmarks and specified by RSA.

- (v) Aadhaar authenticated biometric attendance facility for both trainers and trainees in the training centres.
- (vi) Fire-fighting equipment.
- (vii) First aid, hygiene, drinking water and washroom facilities.
- (viii) Power back up.
- (ix) CCTV recording facilities in classrooms, labs and common areas.

3.4 Branding of the Training Centre

In order to create awareness amongst the targeted beneficiaries, the implementing agencies will be mandatorily required to ensure branding and marketing of the scheme as well as their training centres. To maintain a common thread in all skilling initiatives of the Government of India, common branding as advised by MSDE will be adopted for this scheme.

3.5 Mobilization and Selection of the Trainees

The implementing agencies will be responsible for mobilization and selection of the trainees, keeping in view the requirements of the industry and other stakeholders in a transparent manner by giving opportunity to all willing persons. Preference will be given to the marginalized social groups like women, SC/ST, differently-abled persons, minorities, persons from the BPL category and 115 Aspirational Districts notified by the NITI Aayog. In addition, the Ministry will operationalize a web and Mobile App based platform where also the interested candidates can indicate their willingness to undergo training.

3.5.1 Mobilization

The IAs will use following media channels for the mobilization of candidates:

- (i) **Print/ Electronic Media:** Radio, Television, Newspapers, Billboards, Mobile Phones etc.
- (ii) **Social Media:** Facebook, Twitter, Whatsapp etc.
- (iii) **Awareness through Camps/ Melas**
- (iv) **Other forms of Media:** Posters, Flyers, Leaflets, Guidelines, Training materials, Standalone banners, etc.

3.5.2 Selection of trainees

The selection process for identifying the trainees shall be transparent and inclusive. The trainee must be a citizen of India possessing an Aadhaar Card (unless exempted under Aadhaar Act, 2016) with age over 14 years.

3.6 Aadhaar Based Biometric Attendance

Mandatory Aadhaar Enabled Biometric Attendance System integrated with centralized MIS will be adopted to ensure real time attendance of the trainers and the trainees. However, relaxation with regard to mandatory Aadhaar Enabled Biometric Attendance may be given on case to case basis in respect of training centres located in the areas (States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir) which are exempted under Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016).

A minimum of 80% attendance is mandatory for a trainee to be eligible for assessment.

3.7 Trainers and Training of Trainers (ToT)

Each of the training centres will be run by a qualified trainer and support staff. The capacity of the trainers shall be enhanced through a comprehensive Training of Trainers (ToT) Programme. Training of Trainers will be conducted by the RSA and Sector Skill Councils in line with the common norms and guidelines of MSDE.

3.8 Course Content

The content for each course/programme shall be need-based to meet the highest standards and requirements of the related industry segment, including awareness about labour laws, and will be designed by the Textiles Committee (RSA) in consultation with the industry. Use of multimedia content and other applications of Information Technology (IT) would be encouraged. Only the courses which are aligned with NSQF and approved by the Textiles Committee will be offered to the trainees.

3.9 Soft Skills

In addition to the targeted domain specific hard skills, the programme shall also aim at imparting soft skills (life management skills) to the trainees. The training centres should provide minimum 30 hours of soft skills training, including but not limited to communication abilities, language skills, personal habits, cognitive or emotional empathy, time management, teamwork and leadership traits.

3.10 Training Quality

The IAs will adhere to the following to ensure the quality of training:

- (i) Each of the training centres will have adequate number of trainers certified through ToT and the support staff.
- (ii) Trainees will be required to give feedback about quality of the training provided by the trainers at the training centre (for theory as well as practical) at the end of the course which shall be kept by the IA for verification and evaluation by the RSA. Some minimum percentage of these feedbacks shall be verified by the PMU.
- (iii) Mandatory CCTV recording has to be done of the entire training programme. Recordings have to be kept by Implementing Agencies (IA) for a minimum period of one year.

4. Assessment and Certification

Third Party Assessment and Certification will be mandatory for all the eligible trainees. The RSA will specify the assessment protocol and procedure in-line with the Common Norms of the MSDE.

4.1 Assessment Protocols

A comprehensive assessment protocol will be developed by RSA as per the Common

Norms and ensuring a transparent process of assessment of the trainees by the empaneled Assessment Agencies.

4.2 Third Party Assessment

4.2.1 A third party assessment of the trainees will be conducted by the Assessment Agencies empanelled by the RSA. Assessment Agencies will be required to ensure video recording of the entire assessment process. Only empanelled assessors will be allowed to conduct the assessment. The result of the assessment will be uploaded on MIS on the day of assessment. In addition, the Ministry may also appoint an Observer to oversee the assessment process. RSA will also conduct surprise visits for monitoring the process of assessment. In case of any discrepancy or in case the assessment process is compromised by any assessment agency, penalty will be imposed on them as per the provisions of penalty matrix.

4.2.2 After assessment of the candidates, based on the marks obtained, a certificate with the following grades will be given:

Marks Scored	Grade
> 85%	A
70% - 85%	B
60% - 69%	C

4.3 Quality Audit Team of Implementing Agency

Implementing Agencies will be required to establish an internal quality audit team, which will be responsible to check functioning of the training centres operated by the IA as per the scheme guidelines and protocols. The quality team will be required to visit the training centres on monthly basis and submit a report thereof on the MIS the same day.

5. Placement and Post Placement Tracking

5.1 Employment Linkages

The Implementing Agencies would take all steps to partner with industry and obtain the commitment of industrial units for employment of the successfully trained candidates.

5.2 Placement

5.2.1 There shall be 70% placement of the successful trainees under the scheme. For the courses in the organised sector, all 70% should be in wage employment. However, in case of traditional sector (Handloom, Handicraft, Silk & Jute), atleast 50% should be in wage employment with balance in self-employment, in-line with the Common Norms. Further, the Empowered Committee may relax the criteria

for placement and alter the percentage of wage and self-employment in respect of the trainings imparted in the traditional sector.

- 5.2.2 After the assessment, the IA will ensure placement of successful candidates within 3 months of completion of training.
- 5.2.3 In case of wage employment, candidates should be placed in jobs that provide wages atleast equal to the minimum wages prescribed and such candidates should continue to be in job for a minimum period of three months.
- 5.2.4 In case of self-employment, candidates should be gainfully employed in livelihood enhancement occupations. This may be established through documentary evidence e.g. trade license for setting up of an enterprise or becoming a member of producer group or loan documents for loan taken to set up own business or proof of additional earnings (through bank statement).
- 5.2.5 In case of self-employment, besides documentary evidence as per 5.2.4 above, a self-declaration by the candidate confirming his self-employment will be provided by the IA. Further, the IA will be required to facilitate availability of concessional credit under the Pradhan Mantri MUDRA Yojana to such candidates.

5.3 Post Placement Tracking

Each trainee will be tracked by the IA for a period of one year from the date of certification of training. The IA will be required to upload the details of placement and tracking on MIS every month alongwith the supporting documentary proof. An innovative system for tracking will be developed in MIS that shall use technology (web & mobile based) for the trainees to respond on their own to the tracking system. The parameters for tracking would be as under:

- (i) Remuneration.
- (ii) Whether continues to work in the same or higher job role till end of the tracking period (whether with same or different employer).
- (iii) If there are periods of un-employment between different jobs, duration of such gaps and reason for leaving earlier job without having a job in hand.

6. Monitoring and Management Information System (MIS)

- 6.1 The field offices of the Ministry viz. office of DC(Handloom), DC(Handicraft), Textile Commissioner, Jute Commissioner and Central Silk Board etc. will undertake physical verification of Training Centres (TC). The verification of training centres' infrastructure, including evaluation of training centres' capacity for target allocation will be carried out as per the course-wise criteria defined by RSA for approved NSQF courses. Monthly visits for inspection of live training centres will also be carried out. Mobile Application with features of Geo-tagging will be used for verification of the TC and uploading of reports on MIS, on a real-time basis.

6.2 A centralized web-based Management Information System (MIS) will be put in place for monitoring and implementation of the scheme. MIS shall act as an integrated platform for registration of IAs and other stakeholders under the scheme. All aspects of programme management and implementation such as submission of proposals, release of funds, enrolment of candidates, functioning of training, physical verification, assessment, placement, post-placement tracking etc. will be managed through MIS. A Central Application Submission Facility shall be made available on the website through which the IAs will submit applications for their empanelment. MIS will have a structured grievance redressal facility to register grievances of any stakeholder through web, track status on its redressal through reference number, generate alerts to maintain timelines, escalate to next level in case of non-redressal within prescribed timelines and intimate action taken to the stakeholder who lodged grievance on its resolution.

6.3 Call Centre

6.3.1 A call centre will be set up by the PMU which will collect feedback from the trainees and placement agencies with call recording facility and regional helpdesk.

6.3.2 Call centre will have a Helpdesk/Toll Free Number linked to the MIS and Public Dashboard which will address the queries / grievances of different stakeholders.

6.4 Mobile Application

A Mobile Application will be developed and linked to the MIS modules for strengthening the monitoring mechanism. It will provide details of the scheme alongwith information of beneficiaries as well as the IAs. It will provide details of the scheme alongwith information of beneficiaries as well as the IAs. It will be developed for different stakeholders with the following features:

- (i) App for TC Coordinator for uploading Geo-tagged and time stamped photos of the Training Centre and Registration of New TCs.
- (ii) App for Inspection Agency to submit Accreditation and Capacity Evaluation for new TC and its surprise visit reports of live TCs.
- (iii) App for enrolment by interested candidates for different training courses.
- (iv) App to register grievance and track its status through MIS.

6.5 Reporting Mechanism

6.5.1 PMU will submit the progress report and highlights of the scheme on a monthly basis to the Divisional Head of “समर्थ (Samarth)” who will apprise the Secretary of the same.

6.5.2 Empowered Committee will review the progress of the scheme on a quarterly basis.

7. Funding

7.1 The scheme assistance will be only towards the cost heads covered under the Common Norms of the MSDE and agreed to by the Ministry under this scheme. The indicative statement giving component-wise funding of training programmes against the projected outlay of Rs. 1300 crore is given in **Annexure-III**.

7.2 The release of funds will be linked to physical progress updated on the MIS. The IA will have to follow the GFR procedure towards utilization of the funds and all claims shall be supported by the requisite documents such as Utilization Certificate, Expenditure Statement, Valuation Certificate, Project Progress Report etc. The Implementing Agencies shall be required to implement PFMS [Expenditure Advance & Transfer (EAT) Module] in respect of the financial support provided under the Scheme. The IA will follow the financial norms which include but may not be limited to the following:

- (i) Furnishing Performance Security for an amount of 7.5% of the total project cost which will remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of the project;
- (ii) Opening a dedicated Escrow Bank Account and mapping on PFMS;
- (iii) Appointment of an independent Auditor for conducting quarterly audit, annual audit and final audit after completion of the project as per rules and regulations prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI);
- (iv) Uploading the details of Auditor on MIS within one month of issue of the Sanction Order;
- (v) Submission of Audit Report and audited Financial Statements to the Ministry/PMU;
- (vi) Submission of any other document(s) as sought by the Ministry.

7.3 Acknowledging the high levels of employment of women in the sector after the training, all partner institutions and employers will be required to comply with the guidelines regarding Internal Complaints Committee to be constituted under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 to become eligible for funding under the scheme.

7.4 Cost Heads as per Common Norms of the MSDE

7.4.1 Base cost shall be given to the implementing agencies as notified under the Common Norms by the MSDE for different trades of textile sectors. The hourly rates for base cost under Common Norms cover the following cost components involved in skill development training:

- (i) Mobilisation of Candidates
- (ii) Curriculum
- (iii) Trainers' training
- (iv) Equipment
- (v) Amortization of infrastructure costs/utilities

- (vi) Teaching aid
- (vii) Raw material
- (viii) Salary of trainers
- (ix) Placement expenses
- (x) Post-placement tracking/monitoring

However, in case the cost per trainee actually incurred by the implementing agency is less than the cost worked out as per the above base cost, only the actual cost will be reimbursed to the IA.

7.4.2 Where any Implementing Agency is already obtaining assistance from GOI or State Government under any other scheme for any cost component or where govt. infrastructure is involved in the training, appropriate deduction from GOI share shall be made as per the cost norms notified by MSDE from time to time.

7.4.3 Cost for assessment and certification of trained candidates shall be payable to the empaneled assessment agency @ Rs. 800 per candidate separately, through the RSA.

7.5 Release of Funds to IAs

7.5.1 The following will be the schedule for release of funds:

Installment	% of Total Cost	Output Parameters
1 st	30%	On commencement of training against validated candidates.
2 nd	50%	On successful certification of the trainees and placement of 70% of the certified trainees.
3 rd	20%	Outcome based on retention for 3 months in placement.

7.5.2 2nd installment will be calculated on the basis of 80% of the amount due for the trainees actually found successful in the third party assessment with atleast 70% of them successfully placed within 3 months of completion of training. The provisions under para 5.2 above shall be followed for meeting the placement criteria. If the placement (within 3 months period) is less than 70% of the successful trainees, then the installment will be calculated for that number which makes the employment percentage as 70%. Certificate of 100% utilization of the fund released under 1st installment shall be submitted along with the requisite documents as prescribed by the Ministry from time to time. The payment made in the 1st installment in respect of dropouts is adjusted in this instalment.

7.5.3 3rd installment will be calculated on the basis of 100% of the amount due for the trainees who are found successful in the third party assessment with atleast 70% of them retained in placement for minimum three months, in the same or a higher level, with the same or any other employer, with the wages atleast equal to minimum wages prescribed by the Government. If the retention is less than 70%, then the installment will be calculated for that number which makes the retention percentage as 70%. For the release of 3rd installment, certificate of 100% utilization of the fund released under the 2nd instalment will have to be submitted alongwith post-placement record of placed trainees for atleast 3 months from the date of placement.

7.5.4 In mathematical terms, the installment amount can be calculated as described below.

Suppose N = Training target sanctioned to an IA

U = Unit training cost (as per base cost) for full course

C = No. of trainees ($\leq N$) found successful in assessment conducted by empanelled Assessment Agency

P = No. of placed trainees ($\leq C$) meeting the placement criteria as per para 5.2 above (depending upon whether course is in organised sector or traditional sector)

R = No. of trainees, amongst placed trainees (P), who remain in placement for atleast 3 months

$$1^{\text{st}} \text{ Installment, } I_1 = 0.3 \times N \times U$$

$$2^{\text{nd}} \text{ Installment, } I_2 = (0.8 \times C \times U) - I_1 \quad \text{if } P \geq 70\% \text{ of } C$$

$$= \frac{(0.8 \times P \times U)}{0.7} - I_1 \quad \text{if } P < 70\% \text{ of } C$$

$$3^{\text{rd}} \text{ Instalment, } I_3 = (C \times U) - I_1 - I_2 \quad \text{if } R \geq 70\% \text{ of } C$$

$$= \frac{(R \times U)}{0.7} - I_1 - I_2 \quad \text{if } R < 70\% \text{ of } C$$

7.5.5 Example for calculation of installment (as per costing details of “समर्थ (Samarth)” at Annexure) :

Target given to the IA for conducting Garment Making Course	1000 trainees
Total project cost @ Rs.10,380/- per trainee (subject to actual cost of IA, whichever is less).	Rs.1,03,80,000.00
Release of 1st installment (I_1) i.e. 30% of total project cost against validated candidates i.e. Rs.1,03,80,000 X 30% = Rs. 31,14,000	Rs. 31,14,000.00

<p>Release of 2st instalment (I_2) i.e. cumulative 80% of total project cost</p> <p>(a) Assuming that all the 1000 trainees have been successfully certified and atleast 70% i.e. more than 700 trainees are placed, say 850 in this case (P).</p> $I_2 = \text{Rs.}1,03,80,000 \times 0.8 - I_1 = \text{Rs.} 51,90,000.00$ <p>(b) If the number of successfully certified trainees is 900 and atleast 70% i.e. more than 630 are placed, say 700 in this case (P).</p> $I_2 = (\text{Rs.}10,380 \times 900 \times 0.8) - I_1$ $= \text{Rs.}74,73,600 - \text{Rs.} 31,14,000 = \text{Rs.}43,59,600$ <p>(c) If the number of successful certified trainees is 900, of which only 600 are placed (i.e. less than 70%).</p> <p>The installment will be calculated as under:</p> <p>Trainees for which payment due = $\frac{600}{0.7}$</p> <p style="text-align: right;">857.14 rounded up to 858</p> $I_2 = (\text{Rs.}10,380 \times 858 \times 0.8) - I_1$ $= \text{Rs.} 71,24,832 - \text{Rs.} 31,14,000 = \text{Rs.}40,10,832$	<p>Rs. 51,90,000.00</p> <p>Rs. 43,59,600.00</p> <p>Rs. 40,10,832.00</p>
<p>Release of 3rd instalment (I_3) i.e. balance 20% of total project cost</p> <p>Find out the no. of placed trainees (R) who remain in placement for atleast 3 months</p> <p>In case of (a) above:</p> <p>(i) if $850 \geq R \geq 700$</p> $I_3 = \text{Rs.}1,03,80,000 - I_1 - I_2$ $= \text{Rs.}1,03,80,000 - 31,14,000 - 51,90,000 = \text{Rs.}20,76,000$ <p>(ii) if $R < 700$, say 600</p> <p>then trainees for payment due = $600 / 0.7 = 858$ (rounded up)</p> $I_3 = \text{Rs.}10,380 \times 858 - I_1 - I_2 = \text{Rs.} 6,02,040$ <p>In case of (b) above:</p> <p>(i) if $700 \geq R \geq 630$</p> $I_3 = (\text{Rs.}10,380 \times 900) - I_1 - I_2$ $= \text{Rs.}93,42,000 - 31,14,000 - 43,59,000 = \text{Rs.}18,69,000$ <p>(ii) if $R < 630$, say 600</p> <p>then trainees for payment due = $600 / 7 = 858$ (rounded up)</p> $I_3 = (\text{Rs.}10,380 \times 858) - I_1 - I_2 = \text{Rs.}14,33,040$	<p>Rs. 20,76,000.00</p> <p>Rs. 6,02,040</p> <p>Rs.18,69,000</p> <p>Rs.14,33,040</p>

In case of (c) above:	
(i) if R = 600 i.e. all placed trainees remain placed for 3 months $I_3 = (\text{Rs.}10,380 \times 858) - I_1 - I_2$ $= \text{Rs.}93,42,000 - 31,14,000 - 40,10,832 = \text{Rs.}17,81,208$	Rs.17,81,208
(ii) if R < 600, say 500 then trainees for payment due = $500 / 0.7 = 715$ (rounded up) $I_3 = (\text{Rs.}10,380 \times 715) - I_1 - I_2 = \text{Rs.} 2,96,868$	Rs. 2,96,868

8. Signing of Agreement

Each IA will have to sign an Agreement with the Ministry for the project sanctioned and target allocated under the scheme.

9. Grievance Redressal

- 9.1 Grievances relating to implementation of the scheme from any stakeholder will be redressed in a free, fair and transparent manner. Any grievance can be submitted through three modes - Call Centre, Mobile App or Scheme website, as stated in paras 6.2 to 6.4 above. The same will be immediately registered in MIS and promptly acknowledged with reference number to facilitate online tracking.
- 9.2 Each grievance will be forwarded, through MIS, to one level above the person/agency with whom it is related to, for redressal within 15 days. If the grievance is not redressed within 15 days, it will be escalated by MIS to the Director, handling “समर्थ (Samarth)”, in the Ministry, for redressal within next 21 days, who will be designated as Grievance Redressal Officer (GRO).
- 9.3 If the stakeholder submitting grievance is not satisfied with the decision / solution given to him, he may appeal to the GRO within 15 days of intimation of decision/solution. Any appeal to the decisions of GRO will lie with the Joint Secretary, Incharge of “समर्थ (Samarth)”, which will be resolved within a reasonable time.
- 9.4 GRO will monitor the progress on redressal of the grievances, on a monthly basis. Summary of the grievance reports alongwith action taken will be placed before the Empowered Committee for information and necessary guidance.

Annexure-I

Composition of Inter-Ministerial Committee (IMC)

1.	Union Minister of Textiles	Chairperson
2.	Minister of State for Textiles, Ministry of Textiles	Vice Chairperson
3.	Secretary, Ministry of Textiles	Member
4.	Secretary, Department of Expenditure	Member
5.	Secretary, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship	Member
6.	Secretary, Ministry of Labour & Employment	Member
7.	Secretary, Department of Financial Services	Member
8.	Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment	Member
9.	Secretary, Ministry of Tribal Affairs	Member
10.	Secretary, Department of NE Region (DONER)	Member
11.	Adviser (in-charge of the Textiles), NITI Aayog	Member
12.	Financial Advisor, Ministry of Textiles	Member
13.	Special Secretary / Addl. Secretary, Ministry of Textiles	Member
14.	Textiles Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai	Member
15.	Development Commissioner (Handlooms)	Member
16.	Development Commissioner (Handicrafts)	Member
17.	Jute Commissioner, Ministry of Textiles, Kolkata	Member
18.	Member Secretary, Central Silk Board, Bengaluru	Member
19.	Secretary, Textiles Committee, Mumbai	Member
20-25.	Representatives (6 nos.) from Implementing Agencies	Members
26.	Joint Secretary (In-charge of “समर्थ (Samarth)”), Ministry of Textiles	Member Secretary

Chairperson may co-opt any other member (state representatives/ Industry representatives etc.) as per requirement.

Annexure-II**Composition of Empowered Committee (EC)**

1.	Secretary, Ministry of Textiles	Chairperson
2.	Financial Advisor, Ministry of Textiles	Member
3.	Development Commissioner (Handlooms)	Member
4.	Development Commissioner (Handicrafts)	Member
5.	Textiles Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai	Member
6.	Jute Commissioner, Ministry of Textiles, Kolkata	Member
7.	Member Secretary, Central Silk Board, Bengaluru	Member
8.	Secretary, Textiles Committee, Mumbai	Member
9.	Representative of the Ministry of Finance (Department of Expenditure)	Member
10.	Representative of the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship	Member
11.	Representative of NITI Aayog	Member
12.	Representatives of concerned Sector Skill Councils (one each from three SSCs in textiles sector)	Member
13.	Joint Secretary (In-charge of "समर्थ (Samarth)", Ministry of Textiles	Member Secretary

Chairperson may co-opt any other member (state representatives / Industry representatives etc.) as per requirement.

Annexure-III

Detailed costing of "समर्थ (Samarth)"										
Sector / Sub sector	Garment Manufacturing, Fashion design	Garment making	Textiles, Knitting & other Manmade & Synthetic Fibres	Handloom Silk, Jute	Handicraft & Carpet	Admin expenses	Total			
Cost Category (As per Schedule-II of Common Norms)	I	II	I	I	II		-			
Cost per hour (in Rs.)	40.40	34.60	40.40	40.40	34.60		-			
Cost of courses of 300 hours - Level 2 courses (in Rs.)- A	12,120	10,380	12,120	12,120	10,380		-			
Cost + Assessment Fee (Rs. 800/-) B	12,920/-	11,180/-	12,920/-	12,920/-	11,180/-		-			
No of trainees (in lakh)	6.30	1.50	0.80	0.48	0.52		9.6			
Fund requirement for level 2 courses as in B (in Rs. Cr) - C	813.96	167.70	103.36	62.01	58.13		1236.20 Crore			
Cost of courses of above level 2 (Levels 3 to 5) of avg. 375 hours + assessment fee (in Rs.) - D		Rs.15,950/-					-			
Fund requirement for courses of above level 2 (for 0.4 lakh trainees) - E	0.4 lakh X Rs. 15,950/- = Rs.63.80 Crore						-			
Total							Rs.1300 Crore			

